फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 112/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/160) **श्री नारायणलाल जाट व अन्य बनाम श्री इन्द्रकुमार जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील अपीलार्थी 2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-2 **अनवान** **1. श्री नारायणलाल पिता श्री माधवलाल जाट, निवासी ओचछी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।** **2. श्रीमती सोसर पुत्री श्री माधवलाल जाट, निवासी ओचछी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।** **अपीलार्थी** **बनाम** **1. श्री इन्द्रकुमार पिता श्री माधवलाल जाट, निवासी ओचछी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।** **2. सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 964 दिनांक 01.10.2023** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 09.09.2024 **उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 964 दिनांक 01.10.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।** प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • मौजा ग्राम सेंती पटवार हल्का सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में आराजी संख्या 947, 948 किता 2 रकबा 1.40 हैक्टेयर भूमि मुल पुरूष श्री माधुलाल यानि माधवलाल पिता श्री उदयलाल जाट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। श्री माधुलाल के देहावसान उपरान्त श्रीमती मगनीबाई एवं श्री इन्द्रकुमार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ समक्ष विरासत के नामान्तरकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर तहसीलदार द्वारा श्रीमती मगनीबाई एवं इन्द्रकुमार जाट के नाम नामान्तरकरण संख्या 964 दिनांक 01.10.2003 पारित किया। न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित उक्त नामान्तरकरण से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष मयाद बाधित अपील पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश किया गया, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 06.09.2024 को अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थी-2 उपस्थित। अन्य रेस्पोडेंटस् की ओर से बावजुद सूचना कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सूनी गई। प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी पेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 112/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/160) **श्री नारायणलाल जाट व अन्य बनाम श्री इन्द्रकुमार जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों के अंकित कथनों को दोहराते हुए प्रस्तुत किया कि मूल पुरूष श्री माधुलाल/माधवलाल के दो पत्नियां श्रीमती धापू एवं श्रीमती मगनी थी। श्रीमती धापू से अपीलार्थीगण श्री नारायण एवं सोसर संतान हुई और श्रीमती मगनी से प्रत्यर्थी-1 श्री इन्द्रकुमार संतान हुई। श्री माधुलाल/माधवलाल के देहान्त उपरान्त श्रीमती मगनी एवं इन्द्रकुमार द्वारा श्री माधुलाल के विरासत का नामान्तरकरण केवल अपने पक्ष में स्वीकृत करा लिया और तहसीलदार द्वारा श्री माधुलाल के सभी विधिक वारिसान की जांच भी नहीं की गई। उक्त नामान्तरकरण विवादित होकर धारा-135(2) के तहत सभी वारिसान की जांच कर उन्हें सुना जाना आवश्यक था। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थी को कभी नहीं दी गई। जानकारी प्राप्त होते ही अपील मय धारा-5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई। अपीलार्थीगण उक्त नामान्तरकरण से हितबद्ध है और उनके हित प्रत्यक्षरूप से प्रभावित होते है। अपीलार्थीगण उसके पिता के सम्पत्ति के प्रथम श्रेणी के वारिसान है, अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन विवादित नामान्तरकरण को निरस्त कर श्री माधुलाल/माधवलाल के सभी वारिसान अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी-1 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्यर्थी-2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

जैसा की उपरोक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

अपीलार्थी द्वारा देरी का प्रमुख कारण अपीलाधीन निर्णय में विवादित नामान्तरकरण होने उपरान्त भी उन्हे नही सुना जाना कहा गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रावधित किया गया है कि-

> Limitation Act, 1963, S.5 – Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case – Legality of – Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 112/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/160) **श्री नारायणलाल जाट व अन्य बनाम श्री इन्द्रकुमार जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

चुंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य आदेश से अपीलार्थी के हित प्रभावित होते है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तानुसार मयाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। परिसीमा नियमों का यह अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाता है और अपील को समयावधि में मानकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। प्रकरण में यह स्थिति भी पाई गई, वर्तमान प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक था, परन्तु यह नहीं किया गया। ऐसे में एक हितबद्ध व्यक्ति को मात्र तकनीकी बिन्दु पर दण्डित किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की स्वीकृति दी जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन के स्पष्ट है कि मौजा ग्राम सेंती पटवार हल्का सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में आराजी संख्या 947, 948 किता 2 रकबा 1.40 हैक्टेयर भूमि मुल पुरूष श्री माधुलाल यानि माधवलाल पिता श्री उदयलाल जाट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। श्री माधुलाल के देहावसान उपरान्त श्रीमती मगनीबाई एवं श्री इन्द्रकुमार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ समक्ष विरासत के नामान्तरकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर तहसीलदार द्वारा श्रीमती मगनीबाई एवं इन्द्रकुमार जाट के नाम नामान्तरकरण संख्या 964 दिनांक 01.10.2003 पारित किया। उक्त निर्णय से व्यथीत होकर यह अपील पेश की गई।

वर्तमान अपील के अपीलार्थी द्वारा प्रमुख उज्र रहा है कि मूल पुरूष श्री माधुलाल/माधवलाल के दो पत्नियां श्रीमती धापू एवं श्रीमती मगनी थी। श्रीमती धापू से अपीलार्थीगण श्री नारायण एवं सोसर संतान हुई और श्रीमती मगनी से प्रत्यर्थी-1 श्री इन्द्रकुमार संतान हुई। श्री माधुलाल/माधवलाल के देहान्त उपरान्त श्रीमती मगनी एवं इन्द्रकुमार द्वारा श्री माधुलाल के विरासत का नामान्तरकरण केवल अपने पक्ष में स्वीकृत करा लिया और तहसीलदार द्वारा श्री माधुलाल के सभी विधिक वारिसान की जांच भी नहीं की गई। उक्त नामान्तरकरण विवादित होकर धारा-135(2) के तहत सभी वारिसान की जांच कर उन्हें सुना जाना आवश्यक था। यहा हम विधिक प्रावधानों का उल्लेख किया जाना आवश्यक समझते है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-10 में प्रावधान है कि यदि किसी निर्वसीयती की एक से अधिक पत्नियां है, तो दोनों पत्नियों को एक ईकाई मानकर दोनों में समान रूप से मृतक की सम्पत्ति में दी जावेगी। **हिन्दु उत्तराधिकार कानून एवं राजस्थान काश्तकारी**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 112/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/160) **श्री नारायणलाल जाट व अन्य बनाम श्री इन्द्रकुमार जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिनियम, 1955 की धारा-40 के तहत पिता की सम्पत्ति में निर्वसीयती पिता की सम्पत्ति पर पुत्र एवं पुत्रियों का समान अधिकार होता है, इस विधिक स्थिति को हम स्वीकार करते है। यह भी प्रावधित है कि संतान का अपनी पिता की सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार व हक निहित होता है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि श्रीमती मगनीबाई एवं श्री इन्द्रकुमार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पटवारी द्वारा कोई वारिसान के सम्बन्ध में कोई अपेक्षित जांच नहीं की गई, जिससे उक्त नामान्तरकरण विवादित होकर धारा-135(2) के तहत सभी वारिसान की जांच कर उन्हें सुना जाना आवश्यक था, जो नहीं किया गया। ऐसा नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय की सिद्वान्त के विपरित होने एवं सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान को नजरअदांज कर पारित किये जाने से त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण है। यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय स्वर्गीय माधुलाल/माधवलाल के सभी विधिक वारिसान की जांच कर उनकी विरासत का नामान्तरकरण नये सिरे से पारित करें।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। **अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 964 दिनांक 01.10.2003 अपास्त किया जाना है और प्रकरण पुनः तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह स्वर्गीय माधुलाल/माधवलाल के सभी विधिक वारिसान की जांच कर उनकी विरासत का नामान्तरकरण नये सिरे से पारित करें।** तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर